

निर्णय बड़गल्लास औ शाकेसिरे भारी सलप्रक कलक्टर (S.O.) देवगढ

च.सं. 37/2016 रे. वाड

निर्णय दिनांक 25.2.2019.

-: अन्वयन :-

श्री मोहनलाल पिता तेजा जी कलाल नि. सोपरी तह. देवगढ
— वादी

बनाम

- (1) श्री छगना पिता पीथा जी कलाल नि. सोपरी तह. देवगढ
- (2) " बुंया पिता पीथा जी कलाल नि. सोपरी तह. देवगढ
- (3) श्रीमती पानी बेवा पीथा जी कलाल नि. सोपरी तह. देवगढ
- (4) राज्य सरकार जिरये तहसीलदार देवगढ

— प्रतिवादीगण

वाड अन्तर्गत धारा 53 राज. रि. एकह

- उपास्थित :-
1. श्री जगदीश मेवाडा वकील वादी
 2. श्री लखनाथ योग वकील प्रतिवादी

तहसीलदार देवगढ से बंध्याडा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किया। बंध्याडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। बंध्याडा प्रस्ताव अनुभार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खाले की ग्रामि का बंध्याडा निम्न प्रकार किमेजाते के आदेश किमेजाते है। इसी अनुभार राजस्व रेफर में खाला की प्रथम प्रथम समय किमेजाते के आदेश किमेजाते है।

ग्राम सोपरी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमण में स्थित आराजिघाल

ग्राम - सोपरी

श्री छगना, बुंया पिता पीथा ना. बा. वालदा खुद पानी बेवा पीथा हि. व. के लिसे व खाले :-

<u>आ.सं.</u>	<u>रकबा</u>	<u>दिस्म</u>	<u>लगान</u>
--------------	-------------	--------------	-------------

325 के.		पटार 0.01	-
---------	--	-----------	---

2/10

श्री मोहनलाल पिता तेजा कृष्ण निवासी सोपरी
 के हिस्से व खाले :-

आ. नं.	रकबा	विवरण	लगान
325 1	0.02	कु. I 0.02	0.61
324	0.15	बी. II 0.01	0.01
		कु. I 0.14	4.28
योग:- 02.	0.17	-	4.90

वादी वाफुदस्त बुलिया लगान की 5 गुणा राशि के मोन
 जमुण्डीयल स्टाम्प पेस करे। तदनुसार राजस्व देकरे में
 अंरुन प्रियाजावे।


 सहायक कलेक्टर
 देवगढ़, जिला राजसमन्द